

17-07-17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त अतेन्द्र व राजेन्द्र जेल से पेश नहीं, केवल वारंट प्राप्त।

शेष अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री डी0एस0 गुर्जर।

प्रकरण कमिटल तर्क हेतु नियत है।

अधिवक्ता श्री गब्बरसिंह गुर्जर ने स्वयं के शपथ पत्र द्वारा सत्य एवं सही होना सत्यापित करते हुए मान0 म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के एम0सी0आर0सी0 प्रकरण क्रमांक 6282/17 में पारित आदेश दिनांक 13.07.17 की प्रमाणित प्रति पेश की। उक्त आदेश के द्वारा मान0 उच्च न्यायालय द्वारा थाना गोहद के अपराध क्रमांक 256/16 में आरोपी राजेन्द्रसिंह पुत्र भोगीराम निवासी मानपुर थाना सिहोनिया जिला मुरैना की ओर से 40 हजार रुपये का बंधपत्र व इतनी ही राशि की सक्षम जमानत पेश किए जाने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया गया है।

उक्त आदेश के पालन में अभियुक्त की ओर से जमानतदार महेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर निवासी सिरसौदा थाना गोहद ने 40 हजार रुपये की जमानत पेश की, अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र पेश किया गया। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री दिनेश गुर्जर ने की। जमानत बाद तस्दीक स्वीकार।

आरोपी का रिहाई आदेश मय मुचलका गोहद जेल भेजा जावे।

उभयपक्षों के कमिटल तर्क सुने गये। प्रकरण का अवलोकन किया।

अभियोजन कथा के अनुसार दिनांक 16.09.16 को शाम करीब 5 बजे फरियादी को पता चला कि उसके परिवार के अभियुक्तगण अतेन्द्र वगैरह उसके चौधरी के पुरा के खेत को जबरन जोत रहे हैं उसी समय फरियादी और उसका भाई नाथूसिंह गुर्जर, ताउ का लडका बकीलसिंह गुर्जर अपने खेत पर रोकने गए तो वहां पर फरियादी के खेत को अतेन्द्रसिंह, भूपेन्द्रसिंह, लल्लासिंह व राजेन्द्रसिंह गुर्जर जबरन जोत रहे थे। जब उन्होंने खेत जोतने से मना किया तो आरोपीगण मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो भूपेन्द्र बोला आज घर लो सालों को तभी फरियादी का भाई नाथूसिंह गुर्जर उनको रोकने के लिए आया तो अतेन्द्र ने अपनी लायसेंसी रायफल से जान से मारने की नियत से गोली मारी जो भाई नाथूसिंह गुर्जर के सिर में लगी और वह गिर पड़ा फिर राजेन्द्रसिंह ने अपनी रायफल से गोली चलाई। इसके बाद सभी आरोपीगण बोले मादरचोदो आज तो बच गए आईदा खेत की तरफ देखा तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की जिस पर से अप0क्र0-256/16 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अभियुक्तगण के विरुद्ध भादवि0 की धारा 307 के अधीन अभियोगपत्र पेश किया गया है। उक्त धारा के अधीन विचारण का एक मात्र क्षेत्राधिकार मान0 सत्र न्यायालय को है। अतः मामला विचारण हेतु मान0 सत्र न्यायालय को उपार्पित किया जाता है।

प्रकरण मे द0प्र0स0 की धारा 207 के अधीन अभियोगपत्र एवं सलग्न

दस्तावेजों की प्रति पूर्व में दिलाई जा चुकी है।

प्रकरण में निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय में प्रकरण को सुव्यवस्थित कर पहुँचाये जाने की व्यवस्था करे। साथ ही लोक अभियोजक को उर्पापण सबधी सूचना भेजी जाए।

उर्पापण की सूचना मालखाना नाजिर को प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु भेजी जाए।

अभियुक्त यदि अभिरक्षा में रहे हो तो उनके अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना निष्पादन लिपिक सुनिश्चित कराये।

आरोपी राजेन्द्र व अतेन्द्र अभिरक्षा में हैं अतः उनके जेल वारंट पर नोट लगाया जावे तथा जेलर को निर्देशित किया जावे कि वे अभियुक्तगण को आगामी दिनांक को मान० प्रथम अपर सत्र न्यायालय गोहद में पेश करें। अन्य अभियुक्तगण को निर्देशित किया गया कि वे आगामी दिनांक पर मान० प्रथम अपर सत्र न्यायालय गोहद में उपस्थित रहें।

प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय गोहद के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 31.07.17 को पेश हो।

सही/—

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)